भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 104

उत्तर देने की तारीख 27 जुलाई, 2026

सोमवार, 5 श्रावण, 1948 (शक)

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना

†*104.श्री शशांक मणि:

श्री गोडम नागेश:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा अन्य शिक्षुता कार्यक्रमों के अंतर्गत देश भर में दाहोद, सीधी, शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों, महाराष्ट्र के पालघर जिले तथा पलनाडु, अनंतपुर जिलों सहित आंध्र प्रदेश में तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और जिला-वार, उद्योगों, युवाओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान नामांकित शिक्षुओं की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षुता प्रशिक्षण के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका या अन्य वित्तीय सहायता सीधे शिक्षुओं के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषकर महाराष्ट्र के पालघर जिले तथा आन्ध्र प्रदेश में महिलाओं और उद्योगों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने उपर्युक्त राज्यों, जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों सहित देश में शिक्षुता कार्यक्रमों में जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कोई 'शिक्षुता मेले' आयोजित किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनसे कितने युवा लाभान्वित हुए हैं और कितने मेलों का आयोजन किया गया और उनके अंतर्गत कितने लाभार्थियों का नामांकन किया गया है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना' के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *104 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित कथन।

(क) और (ख): भारत सरकार, शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत, दो प्रमुख शिक्षुता कार्यक्रम संचालित करती है, जिनमें कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) शामिल हैं। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य युवाओं में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित उद्योगों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाना है, जिसके लिए उन्हें संरचित कार्य-आधारित प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

शिक्षुता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं, जिनमें ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से शिक्षुता प्रक्रियाओं का सरलीकरण और डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से वजीफा सहायता का प्रावधान, संस्थानों को सहायता प्रदान करने के लिए तृतीय-पक्ष एग्रीगेटरों की भागीदारी, लक्षित जागरूकता कार्यक्रम, हितधारक कार्यशालाएं और देश भर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेलों (पीएमएनएएम) का आयोजन शामिल है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के अंतर्गत कार्यरत शिक्षुओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध की तालिका-I और तालिका-II** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दाहोद, सीधी और शिमला लोक सभा क्षेत्रों, महाराष्ट्र के पालघर जिले और आंध्र प्रदेश के पलनाडु और अनंतपुर जिलों में एनएपीएस और एनएटीएस के अंतर्गत नियुक्त शिक्षुओं का जिला/निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध की तालिका-III और III.क** में दिया गया है।

(ग) एनएपीएस-2 के अंतर्गत, सरकार **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)** व्यवस्था के माध्यम से पात्र प्रशिक्षुओं को वजीफा सहायता प्रदान करती है। सरकार **निर्धारित वजीफे का 25% तक वजीफा सहायता प्रदान करती है, जो प्रति प्रशिक्षु प्रति माह अधिकतम ₹1,500 तक सीमित है।** यह राशि सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता और लाभों का समय पर संवितरण सुनिश्चित होता है।

एनएपीएस-2 और एनएटीएस के तहत संवितरित छात्रवृत्ति सहायता में सरकारी हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध की तालिका-IV और IV.क** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दाहोद सीधी और शिमला लोकसभा क्षेत्रों, महाराष्ट्र के पालघर जिलों और आंध्र प्रदेश के पलनाडु और अनंतपुर जिलों में एनएपीएस-2 और एनएटीएस के तहत संवितरित छात्रवृत्ति सहायता में सरकारी हिस्से का जिला/निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध की तालिका-V और V क** में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी में लगातार वृद्धि हुई है। एनएपीएस-2 के तहत नियोजित महिला प्रशिक्षुओं की संख्या वित्त वर्ष **2023-24 में 57,173 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 66,383** और **वित्त वर्ष 2025-26 में 74,682** हो गई। वित्त वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक) के दौरान **17,827 महिला प्रशिक्षुओं** को नियोजित किया गया है।

वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**एनएपीएस के अंतर्गत नियुक्त महिला प्रशिक्षु**	**एनएटीएस के अंतर्गत नियुक्त महिला प्रशिक्षु**
2023-24	57,173	73,803
2024-25	66,383	1,92,531
2025-26	74,682	2,00,400
2026-27	17,827*	30,583**
कुल	**2,16,065**	**4,97,317**

* आंकड़े 30 जून 2026 तक का है।

** दिनांक 22 जुलाई 2026 तक के आंकड़े

शिक्षुता प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री **राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (पीएमएनएएम)** के माध्यम से लक्षित जागरूकता और जुटाव प्रयास करती है, जो हर महीने पूरे देश में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र, कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्रीय निदेशालयों (आरडीएसडीई), तृतीय-पक्ष एग्रीगेटरों (टीपीए) और उद्योग हितधारकों के साथ बातचीत के दौरान, सभी क्षेत्रों में महिला प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाता है।

सरकार प्रशिक्षुओं के लिए समावेशी और सुरक्षित प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करने हेतु संस्थानों को प्रोत्साहित करती है। शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 14 के अंतर्गत, प्रशिक्षुओं को वे सभी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रावधान प्राप्त करने का अधिकार है जो कारखाना अधिनियम, 1948 और खान अधिनियम, 1952 जहाँ भी लागू हो, के अंतर्गत नियमित श्रमिकों को प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त, महिला प्रशिक्षुओं को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया है। शिक्षु अधिनियम, 1961 प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं के लिए लागू कार्य घंटे, अवकाश और अन्य कल्याणकारी प्रावधानों को भी विनियमित करता है।

महाराष्ट्र के पालघर जिले और आंध्र प्रदेश के पलनाडु और अनंतपुर जिलों में एनएपीएस के तहत नियोजित महिला प्रशिक्षुओं का जिलावार विवरण **अनुबंध के तालिका-VI और VI.'क'** में दिया गया है।

(ङ) और (च) सरकार **जून 2022** से देशभर में **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (पीएमएनएएम)** का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य शिक्षुता के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं एवं उद्योगों को शिक्षुता प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। पीएमएनएएम का आयोजन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालयों (आरडीएसडीई), प्रतिष्ठानों और अन्य हितधारकों के समन्वय से प्रति माह किया जाता है। यह मेला **प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लगभग एक तिहाई जिलों** में आयोजित किया जाता है, जिसमें उम्मीदवारों को जुटाना, नियोक्ताओं से संपर्क करना, मौके पर पंजीकरण करना और शिक्षुता अनुबंधों को सुगम बनाना जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार आयोजित पीएमएनएएम कार्यक्रमों का ब्यौरा और उनमें शामिल प्रशिक्षुओं की संख्या **अनुबंध की तालिका-VII** में दी गई है।

अनुबंध

"राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना" के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *104 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तालिका-I: पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत नियोजित शिक्षुओं का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	वित्तीय वर्ष 25-26	वित्तीय वर्ष 26-27 (जून 2026 तक)	कुल
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	48	199	177	92	516
2.	आंध्र प्रदेश	21,701	22,075	26,446	6,448	76,670
3.	अरुणाचल प्रदेश	65	66	204	48	383
4.	असम	8,174	5,801	10,028	1,394	25,397
5.	बिहार	5,317	5,502	9,013	2,549	22,381
6.	चंडीगढ़	1,231	1,692	1,739	244	4,906
7.	छत्तीसगढ	5,249	5,362	6,820	994	18,425
8.	दिल्ली	15,957	22,471	30,330	8,381	77,139
9.	गोवा	11,882	11,770	12,412	2,244	38,308
10	गुजरात	83,957	90,796	1,09,027	24,788	3,08,568
11	हरियाणा	66,714	66,504	85,979	23,171	2,42,368
12	हिमाचल प्रदेश	10,212	9,257	10,891	2,277	32,637
13	जम्मू और कश्मीर	859	1,026	1,230	201	3,316
14	झारखंड	11,883	9,686	10,674	2,416	34,659
15	कर्नाटक	78,457	92,843	1,16,343	25,924	3,13,567
16	केरल	13,104	15,317	15,519	3,805	47,745
17	लद्दाख	66	50	19	17	152
18	लक्षद्वीप	6	8	14	0	28
19	मध्य प्रदेश	22,706	26,823	34,210	10,066	93,805
20	महाराष्ट्र	2,63,245	2,78,423	3,01,910	59,230	9,02,808
21	मणिपुर	18	187	219	36	460
22	मेघालय	212	328	175	34	749
23	मिजोरम	12	146	280	22	460
24	नागालैंड	15	24	40	33	112
25	ओडिशा	10,755	10,757	12,416	1,965	35,893
26	पुदुचेरी	2,469	4,268	5,953	969	13,659
27	पंजाब	14,761	15,510	25,649	5,773	61,693
28	राजस्थान	18,230	22,328	32,243	7,056	79,857
29	सिक्किम	298	439	508	204	1,449
30	तमिलनाडु	1,01,553	1,01,788	1,43,236	33,145	3,79,722
31	तेलंगाना	37,775	34,017	47,501	12,080	1,31,373
32	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	2,878	3,570	4,100	1,156	11,704
33	त्रिपुरा	383	449	533	95	1,460
34	उत्तर प्रदेश	71,505	78,966	1,06,269	24,514	2,81,254
35	उत्तराखंड	21,058	22,887	30,643	7,074	81,662
36	पश्चिम बंगाल	29,538	23,324	35,153	8,531	96,546
	कुल	**9,32,293**	**9,84,659**	**12,27,903***	**2,76,976**	**34,21,831**

वित्त वर्ष 25-26 के दौरान कुल 12.35 लाख प्रशिक्षुओं को नियोजित किया गया था, लेकिन केवल 12,27,903 प्रशिक्षुओं का ब्यौरा ही उपलब्ध है।

तालिका-II: पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून 2026 तक) के दौरान राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के तहत नियोजित शिक्षुओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19	18	14	0
2.	आंध्र प्रदेश	577	3696	1851	571
3.	अरुणाचल प्रदेश	15	17	35	13
4.	असम	1380	1721	2249	544
5.	बिहार	7112	16565	8296	1123
6.	चंडीगढ़	800	2053	2366	404
7.	छत्तीसगढ	847	2342	3423	254
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	215	511	590	73
9.	दिल्ली	6499	9727	9525	2691
10.	गोवा	798	957	892	167
11.	गुजरात	9516	15817	18631	3263
12.	हरियाणा	25691	44274	41476	2629
13.	हिमाचल प्रदेश	1106	2350	2450	512
14.	जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख	272	471	632	125
15.	झारखंड	3387	10158	5883	1773
16.	कर्नाटक	11113	27456	24513	4639
17.	केरल	8478	18152	8698	2969
18.	लक्षद्वीप	-	2	-	0
19.	मध्य प्रदेश	2239	6777	9025	973
20.	महाराष्ट्र	50048	114127	118214	13465
21.	मणिपुर	3	116	53	13
22.	मेघालय	67	39	66	31
23.	मिजोरम	33	72	157	32
24.	नागालैंड	10	42	49	10
25.	ओडिशा	15538	28279	45811	3260
26.	पुदुचेरी	422	748	833	241
27.	पंजाब	2614	2034	2,614	734
28.	राजस्थान	7467	15100	11221	1097
29.	सिक्किम	601	651	626	87
30.	तमिलनाडु	28453	56112	74029	11298
31.	तेलंगाना	8988	35604	22666	2618
32.	त्रिपुरा	141	295	274	5
33.	उत्तर प्रदेश	11587	21706	21857	2020
34.	उत्तराखंड	1779	9172	4732	518
35.	पश्चिम बंगाल	49890	75863	81936	6681
	कुल	**2,57,705**	**5,23,024**	**5,25,687**	**64,833**

तालिका -III: दाहोद, सीधी और शिमला लोकसभा क्षेत्रों, महाराष्ट्र के पालघर जिले और आंध्र प्रदेश के पालनाडु और अनंतपुर जिलों में एनएपीएस के तहत नियोजित प्रशिक्षुओं का जिला/निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रं. सं.	**लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र/जिला**	**वित्तीय वर्ष 23-24**	**वित्तीय वर्ष 24-25**	**वित्तीय वर्ष 25-26**	**वित्तीय वर्ष 26-27 (जून 2026 तक)**	**कुल**
1.	दाहोद, गुजरात	574	680	317	110	1,681
2.	शिमला, हिमाचल प्रदेश	555	364	453	63	1,435
3.	सोलन, हिमाचल प्रदेश	6,969	6,472	7,946	1,558	22,945
4.	सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	721	567	587	186	2,061
5.	सीधी, मध्य प्रदेश	40	24	47	2	113
6.	पालघर, महाराष्ट्र	2,758	4,120	3,043	899	10,820
7.	पलनाडु, आंध्र प्रदेश	15	54	84	6	159
8.	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	4,377	4,164	5,568	804	14,913

तालिका -III.क: दाहोद, सीधी और शिमला लोकसभा क्षेत्रों, महाराष्ट्र के पालघर जिले और आंध्र प्रदेश के पलनाडु और अनंतपुर जिलों में एनएटीएस के तहत कार्यरत प्रशिक्षुओं का जिला/निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण निम्नलिखित है:

क्रमांक	**लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र/जिला**	**वित्तीय वर्ष 23-24**	**वित्तीय वर्ष 24-25**	**वित्तीय वर्ष 25-26**	**वित्तीय वर्ष 26-27 (जून 2026 तक)**	**कुल**
1.	दाहोद, गुजरात	0	5	7	0	12
2.	शिमला, हिमाचल प्रदेश	243	243	205	59	750
3.	सोलन, एचपी	515	1380	1491	269	3655
4.	सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	128	368	439	80	1015
5.	सीधी, मध्य प्रदेश	0	34	41	0	75
6.	पालघर, महाराष्ट्र	107	520	395	67	1089
7.	पलनाडु, आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-
8.	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	43	42	55	24	164

तालिका -IV: एनएपीएस-2 के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से संवितरित छात्रवृत्ति सहायता में सरकार के हिस्से का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रं.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	वित्तीय वर्ष 25-26	वित्तीय वर्ष 26-27 (जून 2026 तक)	कुल
1.	अंडमान व निकोबारद्वीप समूह	0.03	0.05	0.03	0.01	0.12
2.	आंध्र प्रदेश	11.35	18.32	21.97	7.57	59.21
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.14	0.24	0.37	0.07	0.82
4.	असम	4.81	5.05	10.31	2.28	22.45
5.	बिहार	15.59	24.48	26.74	9.03	75.84
6.	चंडीगढ़	0.24	0.33	0.41	0.16	1.14
7.	छत्तीसगढ	2.8	3.87	4.45	1.49	12.61
8.	दिल्ली	4.47	9.14	12.19	3.91	29.71
9.	गोवा	0.78	1.28	1.51	0.44	4.01
10.	गुजरात	14.34	27.31	29.24	9.6	80.49
11.	हरियाणा	6.98	10.62	10.64	3.55	31.79
12.	हिमाचल प्रदेश	3.43	4.61	4.65	1.67	14.36
13.	जम्मू और कश्मीर	0.4	0.8	1.02	0.28	2.5
14.	झारखंड	8.13	13.58	14.17	4.47	40.35
15.	कर्नाटक	20.11	32.9	35.08	10.69	98.78
16.	केरल	5.93	10.77	10.64	3.19	30.53
17.	लद्दाख	0	0	0.01	0	0.01
18.	लक्षद्वीप	0	0.01	0.01	0	0.02
19.	मध्य प्रदेश	11.99	21.49	23.98	7.28	64.74
20.	महाराष्ट्र	85.32	117.35	121.5	37.07	361.24
21.	मणिपुर	0.28	0.61	1.56	0.29	2.74
22.	मेघालय	0.19	0.28	1.0	0.22	1.69
23.	मिजोरम	0.13	0.19	0.67	0.13	1.12
24.	नागालैंड	0.12	0.29	0.58	0.11	1.1
25.	ओडिशा	10.73	13.45	15.94	4.75	44.87
26.	पुदुचेरी	0.55	1.13	1.4	0.41	3.49
27.	पंजाब	2.69	4.05	5.33	2.05	14.12
28.	राजस्थान	5.99	9.78	13.22	4.63	33.62
29.	सिक्किम	0.09	0.2	0.43	0.11	0.83
30.	तमिलनाडु	38.05	59.49	64.47	19.43	181.44
31.	तेलंगाना	5.77	8.77	10.21	3.67	28.42
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.27	0.56	0.72	0.24	1.79
33.	त्रिपुरा	0.34	0.5	0.96	0.22	2.02
34.	उत्तर प्रदेश	43.3	70.22	86.59	27.64	227.75
35.	उत्तराखंड	6.2	9.01	10.51	3.71	29.43
36.	पश्चिम बंगाल	15.63	19.42	24.76	8.5	68.31
	कुल	**327.17**	**500.15**	**567.27**	**178.87**	**1573.46**

तालिका -IV.क: एनएटीएस के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से संवितरित छात्रवृत्ति सहायता में सरकार के हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	वित्तीय वर्ष 25-26	वित्तीय वर्ष 26-27 (जून 2026 तक)
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	0.05	0.07	0.01
2.	आंध्र प्रदेश	0.27	6.50	2.84	0.36
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	0.05	0.04	0.02
4.	असम	0.16	5.21	6.42	1.67
5.	बिहार	0.21	49.38	13.02	1.55
6.	चंडीगढ़	0.02	1.79	4.94	0.76
7.	छत्तीसगढ	0.75	5.54	7.34	0.90
8.	दिल्ली	0.53	11.80	13.89	4.51
9.	गोवा	0.02	1.83	1.84	0.16
10.	गुजरात	0.90	15.33	30.59	4.96
11।	हरियाणा	0.86	28.51	30.10	5.08
12.	हिमाचल प्रदेश	0.26	4.53	6.15	0.86
13.	जम्मू और कश्मीर	0.09	1.05	1.53	0.23
14.	झारखंड	0.15	24.00	16.93	4.04
15.	कर्नाटक	1.09	35.55	37.02	3.34
16.	केरल	0.92	15.93	16.49	2.50
17.	लद्दाख	-	-	-	-
18.	लक्षद्वीप	0.00	0.01	0.00	0.00
19.	मध्य प्रदेश	0.54	8.63	16.45	2.20
20.	महाराष्ट्र	3.46	80.59	126.18	17.63
21.	मणिपुर	-	0.28	0.16	0.01
22.	मेघालय	-	0.24	0.22	0.09
23.	मिजोरम	-	0.18	0.47	0.18
24.	नागालैंड	-	0.06	0.11	0.00
25.	ओडिशा	0.35	17.20	30.35	8.11
26.	पुदुचेरी	0.01	1.00	0.76	0.14
27.	पंजाब	1.64	16.08	26.00	3.29
28.	राजस्थान	0.11	4.23	5.85	0.67
29.	सिक्किम	-	0.95	1.61	0.48
30.	तमिलनाडु	1.50	61.69	69.11	6.77
31.	तेलंगाना	0.24	39.50	8.40	1.43
32.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.74	1.06	0.10
33.	त्रिपुरा	-	0.41	0.97	0.03
34.	उत्तर प्रदेश	1.64	16.92	27.22	3.37
35.	उत्तराखंड	0.11	4.14	5.35	0.59
36.	पश्चिम बंगाल	0.55	44.92	65.74	14.87
	कुल	**16.37**	**504.83**	**575.21**	**90.91**

तालिका -V: दाहोद सीधी और शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों, महाराष्ट्र के, पालघर जिले और आंध्र प्रदेश के पलनाडु और अनंतपुर जिलों में एनएपीएस-2 के तहत डीबीटी के माध्यम से संवितरित छात्रवृत्ति सहायता में सरकार के हिस्से का जिला/निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	**लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र/जिला**	**वित्तीय वर्ष 23-24**	**वित्तीय वर्ष 24-25**	**वित्तीय वर्ष 25-26**	**वित्तीय वर्ष 26-27 (जून 2026 तक)**	**कुल**
1	दाहोद, गुजरात	0.18	0.32	0.42	0.15	1.07
2	शिमला, हिमाचल प्रदेश	0.17	0.26	0.26	0.1	0.79
3	सोलन, हिमाचल प्रदेश	0.45	0.59	0.56	0.22	1.82
4	सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	0.26	0.32	0.28	0.09	0.95
5	सीधी, मध्य प्रदेश	0.21	0.36	0.32	0.1	0.99
6	पालघर, महाराष्ट्र	1.77	3.24	3.58	1.14	9.73
7	पलनाडु, आंध्र प्रदेश	0.08	0.18	0.27	0.11	0.64
8	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	0.91	1.37	1.32	0.42	4.02

तालिका-V क: दाहोद, सीधी और शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों, महाराष्ट्र के पालघर जिले और आंध्र प्रदेश के पलनाडु और अनंतपुर जिलों में एनएटीएस के तहत डीबीटी के माध्यम से संवितरित छात्रवृत्ति सहायता में सरकार के हिस्से का जिला/निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	**लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र/जिला**	**वित्तीय वर्ष 23-24**	**वित्तीय वर्ष 24-25**	**वित्तीय वर्ष 25-26**	**वित्तीय वर्ष 26-27 (जून 2026 तक)**
1.	दाहोद, गुजरात	0.00	0.00	0.01	0.00
2.	शिमला, हिमाचल प्रदेश	0.16	1.03	0.82	0.09
3.	सोलन, हिमाचल प्रदेश	0.02	1.83	2.98	0.41
4.	सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	0.02	0.76	1.17	0.16
5.	सीधी, मध्य प्रदेश	0.00	0.06	0.04	0.00
6.	पालघर, महाराष्ट्र	0.00	0.64	0.63	0.02
7.	पलनाडु, आंध्र प्रदेश	-	-	-	-
8.	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	0.00	0.01	0.01	0.00

तालिका -VI: महाराष्ट्र के पालघर जिले और आंध्र प्रदेश के पलनाडु और अनंतपुर जिलों में एनएपीएस के तहत **कार्यरत महिला प्रशिक्षुओं** का जिलावार विवरण निम्नलिखित है:

क्रं. सं.	**लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र/जिला**	**वित्तीय वर्ष 23-24**	**वित्तीय वर्ष 24-25**	**वित्तीय वर्ष 25-26**	**वित्तीय वर्ष 26-27 (जून 2026 तक)**	**कुल**
1	पालघर, महाराष्ट्र	2,758	4,120	3,043	899	10,820
2	पलनाडु, आंध्र प्रदेश	15	54	84	6	159
3	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	4,377	4,164	5,568	804	14,913

तालिका - VI.क: महाराष्ट्र के पालघर जिले और आंध्र प्रदेश के पलनाडु और अनंतपुर जिलों में एनएटीएस के तहत कार्यरत **महिला प्रशिक्षुओं** का जिलावार विवरण निम्नलिखित है:

क्रं. सं.	लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र/जिला	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	वित्तीय वर्ष 25-26	वित्तीय वर्ष 26-27 (जून 2026 तक)	कुल
1	पालघर, महाराष्ट्र	12	96	79	15	202
2	पलनाडु, आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-
3	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	8	6	11	4	29

तालिका -VII: एनएपीएस क्षेत्रों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून 2026 तक) के दौरान आयोजित पीएमएनएएम कार्यक्रमों और उनमें शामिल प्रशिक्षुओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी:

क्रं. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आयोजित शिक्षुता मेलों की संख्या	नियोजित प्रशिक्षुओं की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	26	516
2.	आंध्र प्रदेश	310	76,670
3.	अरुणाचल प्रदेश	16	383
4.	असम	188	25,397
5.	बिहार	167	22,381
6.	चंडीगढ़	27	4,906
7.	छत्तीसगढ	302	18,425
8.	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	20	11,704
9.	दिल्ली	133	77,139
10.	गोवा	29	38,308
11.	गुजरात	1,149	3,08,568
12.	हरियाणा	149	2,42,368
13.	हिमाचल प्रदेश	142	32,637
14.	जम्मू और कश्मीर	195	3,316
15.	झारखंड	231	34,659
16.	कर्नाटक	156	3,13,567
17.	केरल	123	47,745
18.	लद्दाख	5	152
19.	लक्षद्वीप	73	28
20.	मध्य प्रदेश	381	93,805
21.	महाराष्ट्र	456	9,02,808
22.	मणिपुर	4	460
23.	मेघालय	13	749
24.	मिजोरम	4	460
25.	नागालैंड	24	112
26.	ओडिशा	286	35,893
27.	पुदुचेरी	33	13,659
28.	पंजाब	336	61,693
29.	राजस्थान	302	79,857
30.	सिक्किम	33	1,449
31.	तमिलनाडु	459	3,79,722
32.	तेलंगाना	287	1,31,373
33.	त्रिपुरा	54	1,460
34.	उत्तर प्रदेश	634	2,81,254
35.	उत्तराखंड	76	81,662
36.	पश्चिम बंगाल	547	96,546
	कुल योग	**7,370**	**34,21,831**

तालिका -VII.क: एनएटीएस क्षेत्रों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून 2026 तक) के दौरान आयोजित **शिक्षुता मेलों** का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण और नियोजित शिक्षुओं की संख्या:

क्रं. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आयोजित शिक्षुता मेलों की संख्या	प्रशिक्षुओं को नियोजित किया गया
1.	अंडमान और निकोबार	0	51
2.	आंध्र प्रदेश	7	6695
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	80
4.	असम	4	5894
5.	बिहार	2	33096
6.	चंडीगढ़	0	5623
7.	छत्तीसगढ	2	6866
8.	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	0	1389
9.	दिल्ली	0	28442
10.	गोवा	1	2814
11.	गुजरात	0	47227
12.	हरियाणा	0	114070
13.	हिमाचल प्रदेश	0	6418
14.	जम्मू और कश्मीर	7	1500
15.	झारखंड	28	21201
16.	कर्नाटक	12	67721
17.	केरल	0	38297
18.	लद्दाख	0	2
19.	लक्षद्वीप	2	19014
20.	मध्य प्रदेश	26	295854
21.	महाराष्ट्र	0	185
22.	मणिपुर	0	203
23.	मेघालय	0	294
24.	मिजोरम	0	111
25.	नागालैंड	6	92888
26.	ओडिशा	4	2244
27.	पुदुचेरी	0	7996
28.	पंजाब	0	34885
29.	राजस्थान	0	1965
30.	सिक्किम	37	169892
31.	तमिलनाडु	7	69876
32.	तेलंगाना	0	715
33.	त्रिपुरा	0	57170
34.	उत्तर प्रदेश	0	16201
35.	उत्तराखंड	0	214370
36.	पश्चिम बंगाल	10	1371249
	कुल योग	**155**	**27,42,498**
